



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022022-233115
CG-DL-E-04022022-233115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3, 2022/माघ 14, 1943

No. 72]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 2022/MAGHA 14, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021- क्यूए- एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में,

(1) हरियाणा के नीचे,

(क) क्रम संख्या 14 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"14	नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड - कोमग्रेड टेस्टिंग सर्विसेज रीजनल लेबोरेटरी, (नार्थ) पंजीकरण सं. 52/एन/एफएसएसएआई/2018 प्लाट - 883 (तीसरा तल), फेज V, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा	रासायनिक जैविक";

(ख) क्रम संख्या 20 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"21	वरदान एन्विरो लैब, गुडगाँव पंजीकरण सं. 85/एन/एफएसएसएआई/2022 प्लॉट नंबर 82ए, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम-122051, हरियाणा	रासायनिक जैविक";

(2) पंजाब के नीचे, क्रम संख्या 3 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"3	पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर, मोहाली पंजीकरण सं. 8/एन/एफएसएसएआई/2014 सी-134, इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट, फेज-VIII, एसएस नगर, मोहाली, पंजाब	रासायनिक जैविक";

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में, महाराष्ट्र के नीचे,

(1) क्रम संख्या 17 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"17	डाक्टर अमीन कंट्रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 13/डब्लू/एफएसएसएआई/2014 प्लॉट ए/758, सेक्टर 2, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र	रासायनिक जैविक";

(2) क्रम संख्या 25 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"25	नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड-एनसीएमएल लैब्स, नवी मुंबई पंजीकरण सं. 49/डब्लू/एफएसएसएआई/2018 164-डी, आनंद हाउस, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, नेरुल एम्आईडीसी, नेरुल ईस्ट, नवी मुंबई- 400706 महाराष्ट्र	रासायनिक जैविक";

(3) क्रम संख्या 31 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"32	नेशनल फूड लेबोरेटरी, नवी मुंबई पंजीकरण सं. 63/डब्लू/एफएसएसएआई/2022 सेक्टर 3, जेएनपीटी टाउनशिप सेवा, तालुका उरण, नवी मुंबई- 400707, महाराष्ट्र	रासायनिक जैविक";

3. दक्षिण क्षेत्र से संबंधित 'ग' में,

- (1) आन्ध्र प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 5 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“5	नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड-एनसीएमएल लैब्स, विशाखापत्तनम पंजीकरण सं. 65/एस/एफएसएसएआई/2019 सरदार गौथौलत्त्वन्न भवन, डी नंबर 3-2/2 से 4, आदर्श नगर, विशाखापत्तनम-530040, आन्ध्र प्रदेश	रासायनिक जैविक”;

- (2) तमिलनाडु के नीचे, क्रम संख्या 10 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“10	साइंटिफिक फूड टेस्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई पंजीकरण सं. 43/एस/एफएसएसएआई/2016 एस नंबर 25/3 डी नंबर 8/6, वेल्लालर गली, अयनअम्बक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु-600095	रासायनिक जैविक”;

- (3) तेलंगाना के नीचे,

- (क) क्रम संख्या 1 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“1	ब्यूरो वेरिटास इंडिया टेस्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल लेबोरेटरी, हैदराबाद पंजीकरण सं. 16/एस/एफएसएसएआई/2014 प्लॉट सं. 7-2-सी/ 7 एवं 8, सनथ नगर औद्योगिक एस्टेट, हैदराबाद, तेलंगाना	रासायनिक जैविक”;

- (ख) क्रम संख्या 5 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“5	नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड-एनसीएमएल लैब्स, हैदराबाद पंजीकरण सं. 24/एस/एफएसएसएआई/2014 प्लॉट नंबर ऐ-1/2/ऐ, तीसरा-छठा तल, टीम टावर्स, आईडीए उप्पल, मेदचल मल्कजिगरी, हैदराबाद - 500039, तेलंगाना	रासायनिक जैविक”;

4. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में,

- (1) ओडिशा के नीचे, क्रम संख्या 1 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“2	स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, भुवनेश्वर	रासायनिक”;

पंजीकरण सं. 18/इ/एफएसएसएआई/2022 कान्वेंट स्क्वायर, खारवेल नगर, भुवनेश्वर- 751001, ओडिशा	
--	--

(2) नागालैंड की प्रविष्टियों से पूर्व, सम्बंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
मेघालय		
"1	स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, शिल्लोंग पंजीकरण सं. 19/इ/एफएसएसएआई/2022 स्वास्थ्य और सेवा निदेशालय (अनुसंधान आदि), पाश्चर संस्थान, पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग - 793001, मेघालय	जैविक".

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./625/2021-22]

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

- (i) का.आ. संख्या 567 (ई), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. संख्या 1595 (ई), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. संख्या 1965 (ई), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का.आ. संख्या 2316 (ई), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का.आ. संख्या 3068 (ई), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का.आ. संख्या 3279 (ई), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- (vii) का.आ. संख्या 4083 (ई), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- (viii) का.आ. संख्या 848 (ई), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- (ix) का.आ. संख्या 1516 (ई), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- (x) का.आ. संख्या 2426 (ई), दिनांक 13 जून, 2018;
- (xi) का.आ. संख्या 6207 (ई), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
- (xii) का.आ. संख्या 1377 (ई), दिनांक 08 मार्च, 2019;
- (xiii) का.आ. संख्या 1722 (ई), दिनांक 08 मई, 2019;
- (xiv) का.आ. संख्या 2842 (ई), दिनांक 06 अगस्त, 2019;
- (xv) का.आ. संख्या 3428 (ई), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
- (xvi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
- (xvii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
- (xviii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 04 दिसम्बर, 2020;

- (xix) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
- (xx) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
- (xxi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;
- (xxii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 जून, 2021;
- (xxiii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021;
- (xxiv) फाइल सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 सितंबर, 2021;
- (xxv) फाइल सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 08 अक्टूबर, 2021, और
- (xxvi) फाइल सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2022

F.No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

(1) under *Haryana*,

(a) for serial number 14, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"14	National Commodities Management Services Limited - CommGrade - Testing Services Regional Laboratory, (North) Reg. No. 52/N/FSSAI/2018 Plot -883 (3rd Floor), Phase V, Udyog Vihar, Gurugram, Haryana	Chemical Biological";

(b) after serial number 20, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"21	Vardan Enviro Lab, Gurgaon Reg. No. 85/N/FSSAI/2022 Plot No. 82A, Sector 5, IMT Manesar, Gurgaon - 122051, Haryana	Chemical Biological";

(2) under **Punjab**, for serial number 3, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“3	Punjab Biotechnology Incubator, Mohali Reg. No. 8/N/FSSAI/2014 C-134, Industrial Focal Point, Phase-VIII, SAS Nagar, Mohali, Punjab	Chemical Biological”;

2. In ‘B’ related to WESTERN REGION, under **Maharashtra**,

(1) for serial number 16, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“16.	Dr Amin Controllers Private Limited, Navi Mumbai Reg. No. 13/W/FSSAI/2014 Plot A/758, Sector 2, TTC Industrial Area, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra	Chemical Biological”;

(2) for serial number 25, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“25.	National Commodities Management Services Limited - NCML Labs, Navi Mumbai Reg. No. 49/W/FSSAI/2018 164-D, Anand House, TTC Industrial Area, Nerul MIDC, Nerul East, Navi Mumbai-400706, Maharashtra	Chemical Biological”.

(3) after serial number 31, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“32.	National Food Laboratory, Navi Mumbai Reg. No. 63/W/FSSAI/2022 Sector 3, JNPT Township Sheva, Taluka Uran, Navi Mumbai- 400707, Maharashtra	Chemical Biological”.

3. In ‘C’ related to SOUTHERN REGION,

(1) under **Andhra Pradesh**, for serial number 5, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“5.	National Commodities Management Services Limited-NCML Labs, Visakhapatnam Reg. No. 65/S/FSSAI/2019 Sardar Gouthulatchanna Bhavan, D. No. 3-2/2 to 4, Adarsh Nagar, Visakhapatnam-530040, Andhra Pradesh	Chemical Biological”.

(2) under **Tamil Nadu**, for serial number 10, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“10.	Scientific Food Testing Services Private Limited, Chennai Reg. No. 43/S/FSSAI/2016 S No 25/3 D No 8/6, Vellalar Street, Ayanambakkam, Chennai - 600095, Tamil Nadu	Chemical Biological”;

(3) under *Telangana*,

(a) for serial number 1, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"1.	Bureau Veritas India Testing Services Pvt. Ltd., Central Laboratory, Hyderabad Reg. No. 16/S/FSSAI/2014 Plot No. 7-2-C/7 & 8, Sanath Nagar Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad Urban- 500018, Telangana	Chemical Biological";

(b) for serial number 5, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"5.	National Commodities Management Services Limited-NCML Labs, Hyderabad Reg. No. 24/S/FSSAI/2014 Plot No. A-1/2/A, 3rd - 6th Floor, Team Towers, Ida Uppal, Uppal, Medchal Malkajgiri, Hyderabad-500039, Telangana	Chemical Biological";

4. In 'D' related to EASTERN REGION,

(1) under *Odisha*, after serial number 1, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"2	State Food Testing Laboratory, Bhubaneswar Reg. No. 18/E/FSSAI/2022 Convent Square, Kharvel Nagar, Bhubaneswar – 751001, Odisha	Chemical".

(2) before the entry of Nagaland, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
Meghalaya		
"1.	State Food Testing Laboratory, Shillong Reg. No. 19/E/FSSAI/2022 Directorates of Health and Services (Research etc.), Pasteur Institute, East Khasi Hills, Shillong – 793001, Meghalaya	Biological";

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[Advt.-III/4/Exty./625/2021-22]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017;
- ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017;
- iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017;
- iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017;
- v. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017;
- vi. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017;
- vii. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017;
- viii. S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018;
- ix. S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018;
- x. S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018;
- xi. S.O. number 6207 (E) dated 12th December, 2018;
- xii. S.O. number 1377(E) dated 08th March, 2019;
- xiii. S.O. number 1722 (E) dated 08th May, 2019;

- xiv. S.O. number 2842 (E) dated 06th August, 2019;
- xv. S.O. number 3428 (E) dated 18th September, 2019;
- xvi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 13th February, 2020;
- xvii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 23rd July, 2020;
- xviii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 4th December, 2020;
- xix. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 12th January, 2021;
- xx. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th February, 2021;
- xxi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th March, 2021;
- xxii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 02nd June, 2021;
- xxiii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 25th June, 2021;
- xxiv. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 02nd September, 2021;
- xxv. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 08th October, 2021 and
- xxvi. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 27th October, 2021.